न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)

पीठासीन अधिकारी

जगदीश आर्य

(आर0ए0एस0)

मुकदमा नं0 टी0आई0 –52/2017

तारीख रजू – 20.07.2017

उनवान

1. समयसिंह उम्र 54 वर्ष पुत्र रामधन
2. प्रकाशसिंह पुत्र रामधन
3. मुकेशसिंह पुत्र रामधन
4. जगनबाई पत्नि स्व0 रामधन
5. नाहरसिंह पुत्र मलुवा
6. महेन्द्रसिंह पुत्र मलुवा
7. सरूपी पत्नि स्व0 मलुवा

समस्त जाति गुर्जर निवासी देवलेन हाल आवाद बाढमहासिंहपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली –प्रार्थीगण

विरूद्ध

1. जगन पुत्र चरण
2. प्रहलाद पुत्र नत्थी
3. साहबसिंह पुत्र प्रहलाद
4. भगवानसिंह पुत्र नत्थी
5. हरवीर पुत्र सरदार
6. सियाराम पुत्र हरिसिंह
7. रामनिवास पुत्र नंगूराम
8. राजेशसिंह पुत्र श्री
9. विमला पत्नी स्व0 श्री

समस्त जाति गुर्जर निवासी बाढमहासिंहपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली

–अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति

श्री राम भरोसी गुप्ता एडवोकेट – प्रार्थीगण

अप्रार्थी एकतरफा

निर्णय दिनांक :– 26.07.2018

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थनापत्र इस आशय का पेश किया है किभूमि खाता सं0 68 मे वर्णित खसरा नम्बरान 432/643 रकवा 0.59 हेक्टयर, 476/688 रकवा 0.07 हेक्टयर, 477 रकवा 0.37 हेक्टयर, 484 रकवा 0.57 हेक्टयर, 485 रकवा 0.27 हेक्टयर, 486 रकवा 0.14 हेक्टयर, 487 रकवा 0.35 हेक्टयर,

जगदीश आर्य
उपजिला कलेक्टर

Scanned by CamScanner

491/689 रकवा 0.14 हेक्टयर, 549 रकवा 0.16 कुल किता 09 कुल रकवा 2.66 हेक्टयर स्थित ग्राम बाढमहासिंहपुरा तहसील टोडाभीम मे स्थित है। इस भूमि मे अप्रार्थी नं0 7 हिस्सा 1/2 व अप्रार्थी नं0 8, 9 हिस्सा 1/2 दर हिस्सा 17/45 तथा अप्रार्थी नं0 10, 11, 12, 13 हिस्सा 38/165 प्रार्थीगण नम्बर 5, 6, 7 व प्रतिवादी नं0 नं0 15 दावा मे हिस्सा 1/2, प्रार्थी नं0 1, 2, 3, 4 हिस्सा 1/2 दर हिस्सा 127/165, दर हिस्सा 28/45 के खातेदार काश्तकार है तथा हाल रेवन्यु रिकार्ड जमावंदी सम्वत् 2070 से 2073 तक मे उपरोक्तानुसार खातेदारी दर्ज है। अप्रार्थी नं0 1 ता 6 का उक्त भूमि से कोई संबंध किसी प्रकार का नही है चुकि रेवन्यु रिकार्ड जमाबंदी मे खातेदारी मलुवा पुत्र जौहरी के नाम दर्ज है उक्त मलुवा की मृत्यु हो चुकी है। उसके कायम मुकाम कानूनी वारिस पुत्र व पत्नी प्रार्थी नं0 5 ता 7 व प्रतिवादी नं0 15 दावा मे है। जो पक्षकार है। भूमि खाता सं0 54 में वर्णित खसरा नम्बरान 491 रकवा 0.16 हेक्टयर स्थित ग्राम बाढमहासिंहपुरा तहसील टोडाभीम मे स्थित है। हाल रेवन्यु रिकार्ड जमाबंदी मे इस भूमि की खातेदारी प्रार्थी नं0 1 ता 4 हिस्सा 1/2 तथा प्रार्थी नं0 5 ता 7 व प्रतिवादी नं0 15 दावा मे हिस्सा 1/2 की खातेदारी दर्ज है। इस भूमि से अप्रार्थी नं0 1 ता 6 का कोई संबंध किसी प्रकार का नही है। चुकि रेवन्यु रिकार्ड जमाबंदी मे खातेदारी मलुवा पुत्र जौहरी के नाम दर्ज है उक्त मलुवा की मृत्यु हो चुकी है। उसके कायम मुकाम कानूनी वारिस पुत्र व पत्नी प्रार्थी नं0 5 ता 7 व प्रतिवादी नं0 15 दावा मे है। जो पक्षकार है। अप्रार्थी नं0 1 ता 9 लठैत आदमी है और वे प्रार्थीगण व प्रतिवादी नं0 15 दावा की भूमि वर्णित मद नं0 2, 3 प्रार्थनापत्र मे प्रार्थीगण व प्रतिवादी नं0 15 दावा की हिस्से की भूमि को जबरन लट्ठ के बल पर छिनना चाहाते है। प्रार्थीगण सीधे साधे व ग्रामीण कृषक है। प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 432/643 रकवा 0.59 हेक्टयर मे प्रार्थीगण व प्रतिवादी नं0 15 दावा की हिस्से की भूमि मे से कुछ हिस्से की भूमि मे अप्रार्थी प्रहलाद, साहबसिंह, जगन, हरवीर ने बिना किसी अधिकार के गैरकानूनी रूप से लट्ठ के बल पर करीब दो माह पूर्व रिहायशी मकान बनाने हेतु निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। प्रार्थीगण व प्रतिवादी नं0 15 दावा ने उक्त व्यक्तियो से ऐसा अन्याय नही करने बाबत् मना किया तो उन्होने कहा कि हम शीघ ही तुम्हारी भूमि से कब्जा हटाकर निर्माण कार्य नही करेगे हमे थोडा वक्त दे दो, हम हमारा कब्जा हटा लेगे इसके बाद प्रार्थीगण ने दिनांक 18.07.2017 को उक्त अप्रार्थीगण से हाथ जोडकर कहा कि हमे हमारी भूमि वापिस करो इस पर वे इन्कार हो गये तथा दिनांक 30.06.2017 को हमारी भूमि वर्णित मद नं0 2 प्रार्थनापत्र मे अप्रार्थी नं0 1 ता 9 ने हमारी हिस्से की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर बाजरा की फसल काश्त कर दी है। हम प्रार्थीगण ने दिनांक 18.07.2017 को ऐसा अन्याय नही करने बाबत् मना किया तो वे झगडे पर आमादा हो गये और भूमि पर कब्जा हटाने से इंकार कर दिया और भविष्य मे भूमि पर फसल काश्त करने रिहायशी मकान बनाने की धमकी दी इसलिये प्रार्थनापत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। हमारा खास भाई हरिसिंह मिलिट्री मे है, आने मे असमर्थ है। प्रार्थीगण का प्राइमाफेसी केस साबित है तथा सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे है, यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की गई तो प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी प्रकार संभव नही है जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को कोई क्षति किसी प्रकार की नही है।

प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर्ड कर नोटिस विपक्षी जारी किये गये। विपक्षी की तरफ से उनके वकील उपस्थित हुये लेकिन ना तो उनकी तरफ से जवाब पेश किया गया नाहि उपस्थिति दर्ज कराई इसलिये उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई।

दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थनापत्र मे दर्ज तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थीगण भूमि खाता सं0 68 मे वर्णित खसरा नम्बरान 432/643 रकवा 0.59 हेक्टयर, 476/688 रकवा 0.07 हेक्टयर, 477 रकवा 0.37 हेक्टयर, 484 रकवा 0.57 हेक्टयर, 485 रकवा 0.27 हेक्टयर, 486

जगदीश आर्य
उपजिला...

रकवा 0.14 हेक्टयर, 487 रकवा 0.35 हेक्टयर, 491/689 रकवा 0.14 हेक्टयर, 549 रकवा 0.16 कुल किता 09 कुल रकवा 2.66 हेक्टयर स्थित ग्राम बाढमहासिंहपुरा तहसील टोडाभीम मे प्रार्थीगण नं0 5, 6, 7 व दावे के प्रतिवादी नं0 15 हिस्सा 1/2 प्रार्थी नं0 1, 2, 3, 4 हिस्सा 1/2 दर हिस्सा 127/165 दर हिस्सा 28/45 तथा भूमि खाता सं0 54 मे वर्णित खसरा नम्बरान 491 रकवा 0.16 हेक्टयर स्थित ग्राम बाढमहासिंहपुरा तहसील टोडाभीम मे प्रार्थी नं0 1 ता 4 हिस्सा 1/2 प्रार्थी 5 ता 7 व दावे के प्रतिवादी नं0 15 हिस्सा 1/2 के खातेदार काश्तकार है तथा रिकार्ड जमावंदी मे इसी प्रकार खातेदारी दर्ज है। इसलिये अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पावंद किया जाये। उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया तथा प्रार्थीगण के अभिभाषक की बहस सुनी। प्रार्थीगण उपरोक्त भूमि रिकार्डेड खातेदार है। प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को पावंद किया जाता है कि वे प्रार्थीगण व प्रतिवादी नं0 15 दावा मे भूमि खाता सं0 68 मे वर्णित खसरा नम्बरान 432/643 रकवा 0.59 हेक्टयर, 476/688 रकवा 0.07 हेक्टयर, 477 रकवा 0.37 हेक्टयर, 484 रकवा 0.57 हेक्टयर, 485 रकवा 0.27 हेक्टयर, 486 रकवा 0.14 हेक्टयर, 487 रकवा 0.35 हेक्टयर, 491/689 रकवा 0.14 हेक्टयर, 549 रकवा 0.16 कुल किता 09 कुल रकवा 2.66 हेक्टयर स्थित ग्राम बाढमहासिंहपुरा तहसील टोडाभीम मे प्रार्थीगण नम्बर 5, 6, 7 व प्रतिवादी नं0 15 दावा की हिस्सा 1/2, प्रार्थी नं0 1, 2, 3, 4 हिस्सा 1/2 दर हिस्सा 127/165, दर हिस्सा 28/45 तथा भूमि खाता सं0 54 मे वर्णित खसरा नम्बरान 491 रकवा 0.16 हेक्टयर स्थित ग्राम बाढमहासिंहपुरा तहसील टोडाभीम मे प्रार्थी नं0 1 ता 4 हिस्सा 1/2 तथा प्रार्थी नं0 5 ता 7 व प्रतिवादी नं0 15 दावा मे हिस्सा 1/2 मे मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

जगदीश आर्य
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम
उपजिला कलक्टर टोडाभीम

Scanned by CamScanner